University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव
100 Years 1920 - 2020

प्रो. आलोक कुमार राय
कुलपति
Prof. Alok Kumar Rai
Vice Chancellor

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

कुलपति महोदय का संदेश

लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता का क्षण है कि उत्तर प्रदेश शासन ने **'उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त बी॰एड॰ प्रवेश परीक्षा–2021'** को आयोजित करने का उत्तरदायित्व पुनः हमें सौंपा है। शताब्दी उत्सव मनाने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय इस महती उत्तरदायित्व को पाकर अत्यन्त गौरवान्वित है। वर्तमान करोना वायरस जनित वैश्विक–महामारी की गंभीरता के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में भी, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ 2020–22 के सफल आयोजन किये जाने पर, महामहिम कुलाधिपति/राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार व अतिरिक्त मुख्य–सचिव (उच्च–शिक्षा) ने लखनऊ विश्वविद्यालय तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ 2020–22 की राज्य समन्वयन–समिति की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और कोरोना काल में विषम परिस्थितियां होने पर भी, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ 2020–22 के कुशलतापूर्वक आयोजन व संचालन करने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय व राज्य–समन्वयन–समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी है।

विगत करोना काल में भी लखनऊ विश्वविद्यालय अकादमिक–सुधार एवं अभिनव उपलब्धियों की दिशा में निरन्तर अग्रसर रहा है। कुछ प्रमुख अकादमिक सुधार व उपलब्धियां इस प्रकार हैं : ACCLAIM, प्रोत्साहन और UDDEEPAN जैसी योजनाएं, सर्वोत्तम शोध–पत्र को पुरस्कार, कर्मयोगी, संवर्धन योजना, विद्यार्थी कल्याण कोष, देश–विदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ MoU, पाठयक्रमों का उच्चीकरण, डिजिटल इंडिया में भाग लेते हुए विश्वविद्यालय का अपना एलएमएस SLATE एवं नवीन संकाय तथा अनेक नवीन पाठ्यक्रमों का संचालन आरम्भ हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में निरन्तर सुधार हेतु दृढ़ कृत–संकल्प है। विश्वविद्यालय में पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया सुचारु रुप से सम्पन्न हुई, साथ ही स्नातक व परास्नातक प्रवेश केन्द्रीकृत प्रवेश पोर्टल UnLOC के माध्यम से सम्पन्न हुए। परीक्षा प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार किये गये। विश्वविद्यालय को प्रथम बार टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंडिया टुडे यूनिवर्सिटी रैंकिंग आदि समेत कई प्रतिष्ठित संस्थाओं की रैंकिंग में उच्च स्थान भी प्राप्त हुआ।

अभिनव डिजिटल सुधार की दिशा में अनेक ई–कन्टेन्ट तैयार कराये गये। यू–ट्यूब व ट्विटर, SLATE पोर्टल के माध्यम से कक्षाओं का आनलाइन संचालन किया गया। आधार–भूत संरचना के उच्चीकरण के साथ–साथ अभियांत्रिकी संकाय में नई कम्प्यूटर लैब की स्थापना करायी गयी व उभरते उद्योगों की मदद के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कंसल्टेंसी क्लीनिक की स्थापना भी की गई।

विगत सत्र की भांति ही बी॰एड॰ प्रवेश परीक्षा 2021 को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण विधि से सम्पन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु अधिकतर प्रक्रिया आनलाइन सम्पन्न करायी जा रही है। बी॰एड॰ पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों की सफलता हेतु मंगल कामनायें तथा इस महती कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु कटिबद्ध विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं टीम के सदस्यों को मेरी अनन्य शुभकामनायें।

आलोक कुमार राय
कुलपति

Telephones:0522-2740467(O)0522-2740462(R),Fax:022-2740467(O) E-mail:vc@lkouniv.ac.in

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

प्रो॰ अमिता बाजपेई
राज्य समन्वयक
संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰–2021

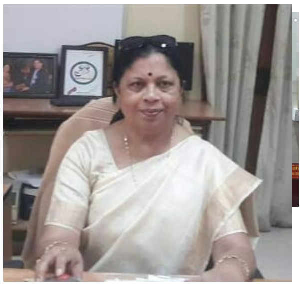

शुभकामना संदेश

'उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2021–23 की राज्य स्तरीय बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) **संयुक्त प्रवेश परीक्षा** को आयोजित करने का उत्तरदायित्व शासन द्वारा पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। निश्चय ही शासन को लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य–प्रणाली, कुशलता एवं क्षमता पर पूर्ण विश्वास है।

विश्वव्यापी करोना वायरस जनित महामारी की गंभीरता के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में भी लखनऊ विश्वविद्यालय तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ 2020–22 की राज्य समन्वयन–समिति ने सभी अभ्यर्थियों को सुरक्षित रखते हुए परीक्षा का आयोजन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय का सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रवेश–प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न हो। प्रवेश प्रक्रिया में तकनीकी का अधिकतम प्रयोग करते हुए आवेदन, काउन्सिलिंग तथा शुल्क संग्रहण को सरलतम बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि सुदूर क्षेत्रों में बैठे अभ्यर्थी भी इस प्रक्रिया में बिना किसी असुविधा के सम्मिलित हो सकें।

इस प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी समर्पित टीम के सदस्य सदैव तत्पर हैं। निर्देश–पुस्तिका भी अत्यन्त सरल भाषा में तैयार की गयी है ताकि अभ्यर्थियों में किसी प्रकार का संशय न रहे। समस्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे निर्देशों को भलीभाँति पढ़कर, आवेदन हेतु समस्त आवश्यक जानकारियों एवं प्रमाणपत्र इत्यादि को एकत्रित करने के पश्चात ही आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार ही असुविधा न हो।

मैं समस्त अभ्यर्थियों की सफलता हेतु कामना करती हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनायें प्रेषित करती हूँ।

प्रो॰ अमिता बाजपेई
राज्य समन्वयक
संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰–2021

University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव

प्रो. आलोक कुमार राय
कुलपति
Prof. Alok Kumar Rai
Vice Chancellor

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

कुलपति महोदय का संदेश

लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए यह अत्यन्त प्रसन्नता का क्षण है कि उत्तर प्रदेश शासन ने **'उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त बी॰एड॰ प्रवेश परीक्षा–2021'** को आयोजित करने का उत्तरदायित्व पुनः हमें सौंपा है। शताब्दी उत्सव मनाने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय इस महती उत्तरदायित्व को पाकर अत्यन्त गौरवान्वित है। वर्तमान करोना वायरस जनित वैश्विक–महामारी की गंभीरता के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में भी, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ 2020–22 के सफल आयोजन किये जाने पर, महामहिम कुलाधिपति/राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार व अतिरिक्त मुख्य–सचिव (उच्च–शिक्षा) ने लखनऊ विश्वविद्यालय तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ 2020–22 की राज्य समन्वयन–समिति की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और कोरोना काल में विषम परिस्थितियां होने पर भी, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ 2020–22 के कुशलतापूर्वक आयोजन व संचालन करने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय व राज्य–समन्वयन–समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी है।

विगत करोना काल में भी लखनऊ विश्वविद्यालय अकादमिक–सुधार एवं अभिनव उपलब्धियों की दिशा में निरन्तर अग्रसर रहा है। कुछ प्रमुख अकादमिक सुधार व उपलब्धियां इस प्रकार हैं : ACCLAIM, प्रोत्साहन और UDDEEPAN जैसी योजनाएं, सर्वोत्तम शोध–पत्र को पुरस्कार, कर्मयोगी, संवर्धन योजना, विद्यार्थी कल्याण कोष, देश–विदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ MoU, पाठयक्रमों का उच्चीकरण, डिजिटल इंडिया में भाग लेते हुए विश्वविद्यालय का अपना एलएमएस SLATE एवं नवीन संकाय तथा अनेक नवीन पाठ्यक्रमों का संचालन आरम्भ हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में निरन्तर सुधार हेतु दृढ़ कृत–संकल्प है। विश्वविद्यालय में पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया सुचारु रुप से सम्पन्न हुई, साथ ही स्नातक व परास्नातक प्रवेश केन्द्रीकृत प्रवेश पोर्टल UnLOC के माध्यम से सम्पन्न हुए। परीक्षा प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार किये गये। विश्वविद्यालय को प्रथम बार टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंडिया टुडे यूनिवर्सिटी रैंकिंग आदि समेत कई प्रतिष्ठित संस्थाओं की रैंकिंग में उच्च स्थान भी प्राप्त हुआ।

अभिनव डिजिटल सुधार की दिशा में अनेक ई–कन्टेन्ट तैयार कराये गये। यू–ट्यूब व ट्विटर, SLATE पोर्टल के माध्यम से कक्षाओं का आनलाइन संचालन किया गया। आधार–भूत संरचना के उच्चीकरण के साथ–साथ अभियांत्रिकी संकाय में नई कम्प्यूटर लैब की स्थापना करायी गयी व उभरते उद्योगों की मदद के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कंसल्टेंसी क्लीनिक की स्थापना भी की गई।

विगत सत्र की भांति ही बी॰एड॰ प्रवेश परीक्षा 2021 को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण विधि से सम्पन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु अधिकतर प्रक्रिया आनलाइन सम्पन्न करायी जा रही है। बी॰एड॰ पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों की सफलता हेतु मंगल कामनायें तथा इस महती कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु कटिबद्ध विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं टीम के सदस्यों को मेरी अनन्य शुभकामनायें।

आलोक कुमार राय
कुलपति

Telephones:0522-2740467(O)0522-2740462(R),Fax:022-2740467(O) E-mail:vc@lkouniv.ac.in

University of Lucknow
लखनऊ विश्वविद्यालय
Centennial Celebrations
शताब्दी उत्सव

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

प्रो॰ अमिता बाजपेई
राज्य समन्वयक
संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰–2021

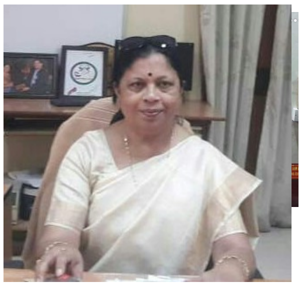

शुभकामना संदेश

'उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2021–23 की राज्य स्तरीय बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) **संयुक्त प्रवेश परीक्षा** को आयोजित करने का उत्तरदायित्व शासन द्वारा पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। निश्चय ही शासन को लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य–प्रणाली, कुशलता एवं क्षमता पर पूर्ण विश्वास है।

विश्वव्यापी करोना वायरस जनित महामारी की गंभीरता के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में भी लखनऊ विश्वविद्यालय तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ 2020–22 की राज्य समन्वयन–समिति ने सभी अभ्यर्थियों को सुरक्षित रखते हुए परीक्षा का आयोजन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय का सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रवेश–प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न हो। प्रवेश प्रक्रिया में तकनीकी का अधिकतम प्रयोग करते हुए आवेदन, काउन्सिलिंग तथा शुल्क संग्रहण को सरलतम बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि सुदूर क्षेत्रों में बैठे अभ्यर्थी भी इस प्रक्रिया में बिना किसी असुविधा के सम्मिलित हो सकें।

इस प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी समर्पित टीम के सदस्य सदैव तत्पर हैं। निर्देश–पुस्तिका भी अत्यन्त सरल भाषा में तैयार की गयी है ताकि अभ्यर्थियों में किसी प्रकार का संशय न रहे। समस्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे निर्देशों को भलीभाँति पढ़कर, आवेदन हेतु समस्त आवश्यक जानकारियों एवं प्रमाणपत्र इत्यादि को एकत्रित करने के पश्चात ही आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार ही असुविधा न हो।

मैं समस्त अभ्यर्थियों की सफलता हेतु कामना करती हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनायें प्रेषित करती हूँ।

प्रो॰ अमिता बाजपेई
राज्य समन्वयक
संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰–2021

बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,

सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021–23 में प्रवेश हेतु निर्देशिका

1 **बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत है**

1.1 **विज्ञान/सामाजिक–विज्ञान/मानविकी–वर्ग*** में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। **बी॰ई॰ एवं बी॰टेक॰ (अभियाँत्रिकी) में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता** वाले छात्रों के लिये न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।

1.2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी॰ई॰ एवं बी॰टेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।

1.3 दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 05% (पाँच प्रतिशत) की छूट दी जायेगी।

1.4 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षाशास्त्री (बी॰एड॰) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है :–

1.5 **न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंकों सहित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा, या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक।**

1.6 *** महत्वपूर्ण नोट** :

1.6.1 तीनो वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य/कोर विषय के रुप में अध्ययन किया गया हो।

1.6.2 ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे है, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।

2 बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2021 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ *

2.1	ऑन–लाईन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि	18/02/2021
2.2	ऑन–लाईन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि	15/03/2021
2.3	विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि	16/03/2021 से 22/03/2021
2.4	प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि	10/05/2021
2.5	प्रवेश–परीक्षा की संभावित तिथि	19/05/2021
2.6	प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि	20–25/06/2021

2.7 * किसी विशेष परिस्थिति में बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2021 से सम्बन्धित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय के पास होगा। यदि बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा 2021 से सम्बन्धित कोई तिथि परिवर्तित होती है तो इसकी सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

2.8 आवेदन शुल्क **(Application Fee) 18.02.2021 to 15.03.2021**

		शुल्क (रुपये में)
2.8.1	उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	1500/-
2.8.2	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	750/-
2.8.3	अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए	1500/-

2.9 **विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन शुल्क (Application Fee with late fee) 16.03.2021 to 22.03.2021**

		शुल्क (रुपये में)	विलम्ब शुल्क (रुपये में)	कुल शुल्क (रुपये में)
2.9.1	उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	1500/-	500/-	2000/-
2.9.2	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	750 /-	250/-	1000/-
2.9.3	अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए	1500/-	500/-	2000/-

3 महत्वपूर्ण निर्देश

3.1 प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता सम्बन्धी निर्देशों को अवश्य पढ़ लें जो **http://lkouniv.ac.in** वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3.2 **आवेदक** की अर्हता अथवा भारांकों में किसी भी त्रुटि के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी तरह के वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी।

3.3 कृपया नोट कर लें कि **ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूल प्रति/छायाप्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है।** ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

3.4 प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कम्प्यूटर–जनित 11 (ग्यारह) अंकों की एक संख्या अंकित है जो कि पंजीकरण संख्या है, जिसे बी॰एड॰ प्रवेश हेतु भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

3.5 **ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गयी कुछ प्रविष्टियों* में यदि उसे कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात चार दिनों के अन्दर त्रुटियों का संशोधन कर सकेगा।** अभ्यर्थी पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें।

3.5.1 **प्रविष्टियाँ * जिनमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है : विषय वर्ग, लिंग तथा भारांक तथा परीक्षा केन्द्र**

3.6 **e-mail id** : अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत मेल आई डी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें, जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना आवश्यकता पड़ने पर इस माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

3.7 **मोबाइल नम्बर** : अभ्यर्थी अपना वही मोबाइल नम्बर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें, जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना आवश्यकता पड़ने पर इस माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

3.8 अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने पासवर्ड/OTP को दुरुपयोग से बचाने हेतु गोपनीय रखें व किसी से भी साझा न करें। यदि उनके पासवर्ड/OTP का कोई भी दुरुपयोग होता है तो इस हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

3.9 **बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) 2021–23 से सम्बन्धित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।**

4 ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया

4.1 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत् तीन चरणों में सम्पन्न होगी:

प्रथम चरण	–	ऑनलाइन पंजीकरण करना।
द्वितीय चरण	–	आवेदन पत्र को पूर्ण करना।
तृतीय चरण	–	पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना एवम् आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना।

4.1.1 *कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूल प्रति/छायाप्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।*

4.1.2 **संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ (द्विवर्षीय) 2021–23 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु अपनी अर्हता अवश्य सुनिश्चित कर लें।**

4.2 प्रथम चरण – पंजीकरण

4.2.1 ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (Candidate Registration) लिंक पर क्लिक करें।

4.2.2 ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की प्रविष्टियों को भरें। जहाँ–जहाँ (*) चिह्न लगा है उन प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से भरना है।

4.2.3 अपनी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के पश्चात् सही जाँच कर आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।

4.2.4 आप द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओ टी पी भेजा जायेगा जिसे निर्धारित स्थान पर भरना होगा।

4.2.5 सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के साथ ही आपको कम्प्यूटर–जनित 11 (ग्यारह) अंकों की पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को सावधानीपूर्वक लिख लें एवम् इस पृष्ठ का प्रिन्ट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया सम्पादित होगी।

4.2.6 **नोट– प्रवेश हेतु केवल पंजीकरण करने मात्र से आपका बी॰एड॰ प्रवेश परीक्षा 2021–23 हेतु आवेदन पूर्ण नही होता है। यह केवल सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र को पूर्ण करना है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार कर दिया जायेगा।**

4.3 द्वितीय चरण – आवेदन पत्र को पूर्ण करना

4.3.1 पंजीकरण करने के पश्चात् 'आवेदन पत्र पूरित करें' (Submit Application Form) लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र पूरित करने के लिये अभ्यर्थी को **पंजीकरण संख्या, पासवर्ड** एवं **जन्मतिथि** भरना होगा।

4.3.2 स्क्रीन पर मांगी गई सूचनाओं को आगे दिये आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देशों के आधार पर भरने के बाद सबमिट (**Submit**) पर क्लिक करें।

4.3.3 **ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गयी कुछ प्रविष्टियों* में यदि उसे कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात चार दिनों के अन्दर त्रुटियों का संशोधन कर सकेगा।** अभ्यर्थी पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें।

4.3.4 **प्रविष्टियाँ * जिनमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है : विषय वर्ग, लिंग तथा भारांक तथा परीक्षा केन्द्र**

4.4 तृतीय चरण – शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना

4.4.1 सम्बन्धित वेबसाइट पर शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करें।

4.4.2 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क का ऑन लाईन भुगतान (Internet Banking / Debit Card / Credit Card) द्वारा करें।

4.4.3 ऑन–लाईन माध्यम से भुगतान करने पर बैंक द्वारा जारी Transaction ID को अपने पास सावधानीपूर्वक लिख कर सुरक्षित कर लें।

4.4.4 उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा शुल्क रुपये 1500/– तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रुपये 750/– देय होगा। अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क रुपये 1500/– देय होगा।

4.4.5 यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है, किन्तु आवेदन–पत्र पूर्ण नहीं किया है तो अभ्यर्थी विलम्ब शुल्क सहित, आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन–पत्र पूर्ण कर सकता है।

4.4.6 निर्धारित **अंतिम तिथि के पश्चात** आवेदन करने वाले सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा शुल्क रुपये 2000/– (1500 + 500) तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रुपये 1000/– (750 + 250) देय होगा। अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क रुपये 2000/– (1500 + 500) देय होगा।

4.4.7 अंतिम तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

4.4.8 यदि किसी अभ्यर्थी के खाते से प्रवेश परीक्षा शुल्क की धनराशि कट जाती है किन्तु लेन–देन असफल होता है तो इस दशा में भुगतान की वापसी, बैंक स्तर से, भुगतान के मिलान (Payment-reconciliation) के 24 घण्टे के पश्चात संभव हो सकेगी। परामर्श दिया जाता है कि अभ्यर्थी के खाते से प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान असफल होने की दशा में, भुगतान का अगला प्रयास 24 घण्टे के पश्चात ही करें।

5 ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश (General Instructions for Online Application)

5.1 अभ्यर्थी का नाम (**Name of Candidate**)

5.1.1 हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरें। नाम के साथ श्री/श्रीमती/श्रीमान/कुमारी/सुश्री आदि सम्बोधन सूचक शब्द **नहीं** भरें।

5.2 पिता का नाम (**Father's Name**)

5.2.1 जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार पिता का नाम भरा जाये। पिता के नाम के साथ श्री/श्रीमान/डॉ॰ आदि सम्बोधन सूचक शब्द **नहीं** भरें।

5.3 माता का नाम (**Mother's Name**)

5.3.1 जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार माता का नाम भरा जाये। माता के नाम के साथ श्रीमती/सुश्री/डॉ॰ आदि सम्बोधन सूचक शब्द **नहीं** भरें।

5.4 जन्मतिथि (**Date of Birth**)

5.4.1 हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। जन्मतिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होगा।

5.5 ई–मेल (**e-Mail**)

5.5.1 अपना ई–मेल इस स्थान पर लिखें।

5.5.2 **e-mail id** : अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत मेल आई डी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें, जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना आवश्यकता पड़ने पर इस माध्यम से प्रेषित की जा सकती है।

5.6 मोबाइल नम्बर (**Mobile Number**)

5.6.1 अभ्यर्थी अपना 10 अंको का मोबाइल नम्बर भरें।

5.6.2 **मोबाइल नम्बर** : अभ्यर्थी अपना वही मोबाइल नम्बर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें, जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना आवश्यकता पड़ने पर इस माध्यम से प्रेषित की जा सकती है।

5.7 लिंग (**Gender**)

5.7.1 पुरूष अभ्यर्थी, पुरूष (Male) के सम्मुख क्लिक करें तथा महिला अभ्यर्थी महिला (Female) के सम्मुख क्लिक करें। अन्य अभ्यर्थी Transgender पर क्लिक करें।

5.8 राष्ट्रीयता (**Nationality**)

5.8.1 अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रीयता का चयन करें।

5.9 **उत्तर प्रदेश का मूल निवासी** (Domicile of UP)

5.9.1 यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ (Yes) का चयन करें अन्यथा नहीं (No) का चयन करें। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है परन्तु उसने शैक्षिक योग्यता (हाई स्कूल/ इण्टरमीडिएट/ स्नातक) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से प्राप्त की है तो अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका में दिये गये प्रारूप – 11 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल/ इण्टरमीडिएट/ स्नातक उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है ऐसे अभ्यर्थी अपनी हाई स्कूल/ इण्टरमीडिएट/ स्नातक अंकतालिका या प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5.10 **श्रेणी** (**Category**)

5.10.1 सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (OBC/SC/ST/EWS) के अभ्यर्थी (यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाणपत्र के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र धारित करता है तो) अपने वर्ग के सम्मुख क्लिक करें। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण–पत्र 01 अप्रैल, 2018 या उसके बाद का होना चाहिये। पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को 01 जुलाई 2020 या उसके बाद का आय प्रमाण–पत्र भी अपलोड करना होगा। **उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित वर्ग पर क्लिक न करें बल्कि सामान्य के सम्मुख क्लिक करें।** अर्थात अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। सम्बन्धित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

5.11 **विकलांग (Physically Challenged)/ दृष्टिबाधित (Blind)**

5.11.1 यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी में आता है और इस संवर्ग का लाभ लेना चाहता है तो हां (Yes) के सम्मुख क्लिक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित एतदर्थ बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में होना आवश्यक है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

5.12 **वैवाहिक स्थिति (Marital Status)**

5.12.1 अभ्यर्थी अपनी वैवाहिक स्थिति के लिये विवाहित / अविवाहित / विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा (Married / Unmarried / Widow / Divorced / Separated) का चयन करें।

5.13 **पत्र व्यवहार का पूरा पता (Complete Postal Address)**

5.13.1 पत्र व्यवहार के पते में अभ्यर्थी अपना नाम एवं डाक का सम्पूर्ण पता भरें।

5.14 **पिन कोड** (**Pin Code**)

5.14.1 अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार में दिये गये पते से सम्बन्धित पिन कोड नम्बर को भरें।

5.15 फोटो पहचान (Photo Identity Card)

5.15.1 अभ्यर्थी अपना 12 अंको का आधार संख्या भरें। जिन अभ्यर्थियों का आधार कार्ड यदि अब तक नहीं बना है, तो वे अपना पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आई॰डी॰ का नम्बर अंकित करें।

5.16 फोटो व अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (Photograph & Signature of the Candidate)

5.16.1 ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो (Front Face), दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर 35mm x 45mm आकार में अन्य सम्बंधित प्रपत्र **अपलोड करना** अनिवार्य है। फोटोग्राफ, दोनों तर्जनी (Both Index Fingers) तथा हस्ताक्षर की अधिकतम 50 KB की jpg format में कम्प्यूटर फाईल होगी। फोटो, हस्ताक्षर व अंगुलियों के निशान स्पष्ट होना चाहिये। गहरे रंग के चश्में के साथ खीची गयी फोटो स्वीकार नही होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है।

5.17 हाई स्कूल परीक्षा विवरण (Details of High School)

5.17.1 अभ्यर्थी अपनी **हाई स्कूल** के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

5.18 इण्टरमीडिएट परीक्षा विवरण (Details of Intermediate)

5.18.1 अभ्यर्थी अपनी **इण्टरमीडिएट** के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

5.19 स्नातक परीक्षा विवरण (Details of Graduation)

5.19.1 अभ्यर्थी अपनी स्नातक उपाधि के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

5.20 परास्नातक परीक्षा विवरण (Details of Post Graduation)

5.20.1 अभ्यर्थी अपनी परास्नातक उपाधि के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखायी देने लगेगा।

5.20.2 **यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अर्हता पूरी करता है और उसने परास्नातक परीक्षा पूर्ण न करी हो तो वह इस कालम को न भरे।**

5.21 उप–श्रेणी (Sub-Category)

5.21.1 यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रित या विकलांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहता है तो सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें। साथ में भारांक की अर्हता में भी उचित स्थान पर **हाँ** करते हुए सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करें। सम्बन्धित प्रमाण पत्र, मूल रूप में काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.22 **भारांक हेतु मांग (Weightage Claimed)**

5.22.1 अभ्यर्थी भारांक की अर्हता के लिये परिशिष्ट संख्या 1 को सावधानी पूर्वक देखें।

5.22.2 उसके अनुसार परिशिष्ट 1 में श्रेणी **ए** से **एफ** तक के नीचे उस कोड के अंतर्गत मांगे गये भारांक से सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें।

5.22.3 सम्बन्धित प्रमाणपत्र अपलोड करें|

5.23 **प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प (City Option for Entrance Exam)**

5.23.1 अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पाँच शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा (परिशिष्ट–3 देखें) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा।

5.23.2 **परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा ।**

5.24 विषय समूह **(Subject Stream)**

5.24.1 अभ्यर्थी अपने विषय समूह का चयन करें। (प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें)

5.25 **घोषणा (Declaration)**

5.25.1 अभ्यर्थी घोषणाओं को सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा निर्देशों का पालन करें।

5.26 **नोट– ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट की मूलप्रति/छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही अपना पासवर्ड किसी से भी साझा न करें।**

6 आरक्षण

6.1 ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

6.1.1 बी॰एड॰ (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों (21%), अनुसूचित जनजातियों (2%) एवं अन्य पिछड़ा (27%) वर्ग एवम् आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों (10%) आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/ शासनादेश के अनुसार देय होगा।

6.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

6.2.1 शारीरिक रूप से विकलांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता)/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों की संख्या का 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुये भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है, जिसके कारण बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा–शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये उस संस्थान की सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उ॰प्र॰ के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उ॰प्र॰ में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को उस संस्थान की सीटों का अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिये उस संस्थान की सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

6.3 **नेत्रहीन अभ्यर्थियों** को श्रुत लेखक (Writer) की सुविधा अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 अथवा इनके समकक्ष से अधिक न हो। श्रुत लेखक (Writer) की सुविधा परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा से एक दिन पूर्व केन्द्राध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा।

6.4 **अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों** को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

6.5 **केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों** को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियो के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। **विवाहित महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र एवंआय प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए।**

6.6 **टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।**

7 प्रवेश पत्र की प्रति

7.1 अभ्यर्थी राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ (द्विवर्षीय)–2021 का प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि के नौ दिन पूर्व राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बी॰एड॰ (द्विवर्षीय)–2021 की वेबसाइट https://lkouniv.ac.in पर लॉगिन कर अपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है।

7.2 अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को दो प्रतियों में मुद्रित (प्रिन्ट) कर लें व ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी फोटोग्राफ को प्रवेश पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपनी दोनो तर्जनी (Both Index Fingers) का निशान लगायें। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र को दो एक जैसी प्रतियों में लाना है व एक प्रति परीक्षा कक्ष में कक्ष निरीक्षक महोदय को देनी है।

8 प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

8.1 प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे।

8.2 प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे।

8.3 **प्रश्नपत्र –प्रथम**

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक
अ	सामान्य ज्ञान	50	100	200
ब	भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी में से कोई भी)	50	100	

8.3.1 उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' भाषा से सम्बन्धित होगा। इस खण्ड में हिन्दी एवं अंग्रेजी के पृथक–पृथक भाग होंगे। इन दोनो भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के प्रश्न हल करने होंगे।

8.4 **प्रश्नपत्र –द्वितीय**

खण्ड	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक
अ	सामान्य अभिरूचि परीक्षण	50	100	200
ब	विषय योग्यता (कला/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि)	50	100	

8.4.1 उपरोक्त खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' में 4 विषय वर्ग (कला/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि) होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में आनलाइन आवेदन पत्र में भरा है।

9 परिशिष्ट–1

भारांको से सम्बन्धित प्रावधान

	श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
9.1	'A'	राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	
9.1.1		इन्डीविजुअल इवेंट में अभ्यर्थी द्वारा	
9.1.1.1		(अ) प्रथम स्थान आने पर	15
9.1.1.2		(ब) द्वितीय स्थान आने पर	10
9.1.1.3		(स) तृतीय स्थान आने पर	05
9.1.2		टीम इवेंट में	
9.1.2.1		(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	15
9.1.2.2		(ब) सर्वउपविजेता (रनर अप) टीम का सदस्य होने पर	10
9.1.2.3		(स) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	05
9.1.3		किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में	
9.1.3.1		(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	10
9.1.3.2		(ब) एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर	10

9.1.4 **नोटः**

9.1.4.1 उपर्युक्त 9.1.1, 9.1.2 एवं 9.1.3 के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में से केवल एक ही मद/प्रतियोगिता का लाभ दिया जायेगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम/प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/प्रतियोगिता का लाभ देय होगा।

9.1.4.2 राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

9.1.4.3 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

9.2	‘B’	नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी	
9.2.1		नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में “सी” प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15
		या	
9.2.2		नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में “बी” प्रमाण–पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10
		या	
9.2.3		राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	15
		या	
9.2.4		राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	10
		या	
9.2.5		राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05
		या	
9.2.6		स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को	15
		या	
9.2.7		स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को	10
		या	
9.2.8		स्काउट एवं गाइड्स ध्रुवपद या गुरूपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	05

9.2.9 **नोटः**

9.2.9.1 उपरोक्त 9.2.1 से 9.2.8 के अन्तर्गत आइटम में से केवल एक ही मद का लाभ देय होगा।

9.2.9.2 किसी भी आइटम के लिये प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

9.2.9.3 राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो सतत् शैक्षणिक सत्रों में सेवा/सदस्यता से है।

9.3	'C'	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण	15
9.4	'D'	ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो।	15
9.5	'E'	ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या एस.एस.बी. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड्स में सेवारत हो या सेवानियुक्त, अपंग या मृत हो गये हो, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये)	15
9.6	'F'	ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)	15

9.7 नोटः

9.7.1 श्रेणी 'C' से 'F' तक के प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरणिका के अंत में दिये गये है। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा।

9.7.2 यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त 'A' से 'F' तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते है तो उसे अधिकतम 25 अंको का ही लाभ दिया जायेगा।

9.7.3 खेलकूद / एन0सी0सी0 / एन0एस0एस0 / स्काउट–गाइड / रोवर्स–रेंजर्स से सम्बन्धित अधिभार अंक उसी दशा में मान्य होंगे यदि उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि से पूर्व में अर्जित किये गये हों।

9.8 **टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।**

10 परिशिष्ट–2

संयुक्त बी॰एड॰ प्रवेश परीक्षा 2021–23 से सम्बन्धित विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयों के नाम

10.1 लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226007

10.2 महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली – 243006

10.3 डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा – 282004

10.4 डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या – 224001

10.5 चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ – 200005

10.6 बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी – 248128

10.7 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी – 221002

10.8 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221001

10.9 वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर – 222003

10.10 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

10.11 छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर – 208025

10.12 प्रो राजेंद्र सिंह (रज्जु भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज – 211002

10.13 जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया – 277301

10.14 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर – 272205

10.15 ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू–अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ–226013

10.16 गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा – 201312

11 प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प (City Option for Entrance Exam)

क्रम संख्या	जिला	क्रम संख्या	जिला	क्रम संख्या	जिला	क्रम संख्या	जिला	क्रम संख्या	जिला
1	Agra	16	Basti	31	Ghaziabad	46	Kaushambi	61	Pratapgarh
2	Aligarh	17	Bhadohi	32	Ghazipur	47	Kushinagar (Padrauna)	62	RaeBareli
3	Allahabad (Prayagraj)	18	Bijnor	33	Gonda	48	Lakhimpur - Kheri	63	Rampur
4	Ambedkar Nagar	19	Budaun	34	Gorakhpur	49	Lalitpur	64	Saharanpur
5	Amethi (Chatrapati Sahuji Mahraj Nagar)	20	Bulandshahr	35	Hamirpur	50	Lucknow	65	Sambhal (Bhim Nagar)
6	Amroha (J.P. Nagar)	21	Chandauli	36	Hapur (Panchsheel Nagar)	51	Maharajganj	66	Sant Kabir Nagar
7	Auraiya	22	Chitrakoot	37	Hardoi	52	Mahoba	67	Shahjahan pur
8	Azamgarh	23	Deoria	38	Hathras	53	Mainpuri	68	Shamali (Prabuddh Nagar)
9	Baghpat	24	Etah	39	Jalaun	54	Mathura	69	Shravasti
10	Bahraich	25	Etawah	40	Jaunpur	55	Mau	70	Siddharth Nagar
11	Ballia	26	Faizabad (Ayodhya)	41	Jhansi	56	Meerut	71	Sitapur
12	Balrampur	27	Farrukhabad	42	Kannauj	57	Mirzapur	72	Sonbhadra
13	Banda	28	Fatehpur	43	Kanpur Dehat	58	Moradabad	73	Sultanpur
14	Barabanki	29	Firozabad	44	Kanpur Nagar	59	Muzaffarnagar	74	Unnao
15	Bareilly	30	Gautam Buddha Nagar	45	Kanshiram Nagar (Kasganj)	60	Pilibhit	75	Varanasi

CONTACT US

E –mail ID (for Candidates)	helplineupbed2021@gmail.com
B.Ed. Helpline Numbers	9005349991 9005259992 9005159993 9005249994 9005309995
Helplines will be available from 9:00 AM to 5:00 PM only	
State Coordinator Office	JEE B.Ed. 2021-23 B.Ed. Cell, Department of Education, University of Lucknow, Lucknow – 226007
Website	www.lkouniv.ac.in

प्रमाण पत्र का प्रारूप–1

(विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र)

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ....एक विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला है। उनके पति श्री / स्वर्गीय ....की मृत्यु /सम्बन्ध विच्छेद अभिलेखों के अनुसार दिनाँक .... को हुई है।

तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का नाम ....

दिनाँक :................................

(ब) तलाकशुदा स्त्री के लिये न्यायालय से तलाक स्वीकृत होने सम्बन्धित न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का संलग्न करना अनिवार्य है।

(स) परित्यक्ता महिला के लिये न्यायिक अलगाव तथा निर्वाह भत्ते के लिए न्यायालय में दी गयी अर्जी तथा न्यायालय द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही की न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

(द) विधवा अभ्यर्थी के लिए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रमाण पत्र का प्रारूप–2

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .... के स्वयं/पिता/पति श्री .... एक प्रतिरक्षा अधिकारी है जिनका रैंक .... तथा नम्बर.....................है जो कि सक्रिय सेवारत हैं

अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये

अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया

अथवा युद्ध के समय लापता हो गए हैं (प्रारुप 6)।

श्री/कु./श्रीमती .... इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी है।

दिनांक.......................

आफीसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेट्री सोल्जर्स बोर्ड
के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का पूरा नाम ....

प्रमाण पत्र का प्रारूप–3

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु.*.. श्री **...स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी .... के आश्रित ***.. .... हैं।

दिनाँक : ....

स्थान : ....

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम मोहर के साथ
अधिकारी का पूरा नाम ....

नोट : इस प्रमाण–पत्र के साथ जिला अधिकारी प्रदत्त प्रमाण–पत्र एवं पेंशन बुक एवं माता / पिता का पहचान पत्र जिस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम अंकित हो, की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उपरोक्त के अभाव में यह प्रमाण पत्र अमान्य होगा।

* यहाँ आश्रित का नाम लिखें

** यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का नाम लिखा जाये।

*** यहाँ स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित का सम्बन्ध लिखा जाये।

केवल जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य है।

प्रमाण पत्र का प्रारूप–4

(पुलिस / पी.ए.सी. / होमगार्ड / बी.एस.एफ. / आई.टी.बी.पी. / सी.आर.पी.एफ. विभाग का प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु. / श्रीमती ....के पिता / पति श्री .... एक पुलिस / पी.ए.सी. / होमगार्ड / बी.एस.एफ. / आई.टी.बी.पी. / सी.आर.पी. विभाग में सेवारत कर्मचारी है / सक्रिय सेवारत थे / अपंग हो गये हैं / ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया हो, जिनका रैंक ....नम्बर. .... है।

दिनांक:........................

पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेण्ट के हस्ताक्षर

पद की मोहर के साथ

अधिकारी का पूरा नाम

प्रमाण पत्र का प्रारूप–5

(केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .... आत्मज/आत्मजा .... ग्राम ....तहसील......... .... नगर.......................................जिला ....राज्य के/ की स्थाई निवासी है। अतः ये दूसरे प्रान्त के/की श्रेणी में आते/आती हैं।

दिनांकः........................

पद जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

पदनाम की मोहर...

प्रमाण पत्र पत्र का प्रारूप–6

(यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता/पिता निवासी है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम.. .... पिता/माता श्री/कु. (अभ्यर्थी का नाम) ....उत्तर प्रदेश के गाँव/शहर .... तहसील.................................जिला.................................के मूल निवासी है तथा श्री/कु./श्रीमती (अभ्यर्थी का नाम) ....के माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनाँक ....

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट

पूरा नाम ....

पद नाम ....

मोहर

(जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजन मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा.आ.सं.–157/जीन–2003–77(।।)/83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किये जायेंगे।

प्रमाण पत्र का प्रारूप–7

(विकलांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा................................. ग्राम .... .तहसील.. .... नगर......................................जिला.......................राज्य .... के निवासी हैं और निम्नांकित विकलांग श्रेणी में आते है। परन्तु इस श्रेणी में आते हुए भी वे चर्म रोग, हकलाना, मूक बधिर या किसी अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिनके छात्रों में संक्रमण या उनकी कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। उनकी विकलांगता .... अंग से सम्बन्धित है तथा विकलांगता का स्वरूप .... प्रतिशत है।

विकलांगता की श्रेणी

1. हाथ या पैर से विकलांग
2. आंख से विकलांग

दिनाँक:.........................

मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

एवं मुहर

प्रमाण पत्र का प्रारूप–8

सामान्य निवास प्रमाण पत्र

तहसीलदार .... की आख्या दिनांक ....के आधार पर एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी मकान नम्बर..........................ग्राम.... .... मोहल्ला ....तहसील .... जनपद ....उत्तर प्रदेश का/की निवासी हैं व उनका वर्तमान पता मकान नम्बर .... ग्राम .... मोहल्ला......................................तहसील .... जनपद.............................उत्तर प्रदेश है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप–1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने का प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

दिनांक.......................

हस्ताक्षर उपजिलाधिकारी

पूरा नाम

पद नाम

मुहर

(उपजिलाधिकारी की सील)

प्रमाण पत्र का प्रारूप–9

आर्थिक रुप से कमजोर (**EWS**) श्रेणी के लिए प्रमाण पत्र

3

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19ी.री.-ाा, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम..

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.......................... दिनांक-..................................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा.. पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिन कोड............................ के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फाटोग्राफ

हस्ताक्षर .... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

ttp://shasanadesh.up.nic.in

प्रमाण पत्र का प्रारूप–9(1)

आर्थिक रुप से कमजोर (**EWS**) श्रेणी के लिए स्वयं घोषणा पत्र

4

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वंय घोषणा पत्र

स्वंय घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... ब्लाक .... तहसील .... जिला .... राज्य .... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू .... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-